भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

32AC 274261

आवेदन दिनांक......16-2-2017................

आवेदन संख्या......319/16-2-2017........

प्रतिलिपि प्रलेख संख्या......07.........................

विक्रेता काशीनाथ [illegible] क्रेता काशीनाथ [illegible]

सत्यप्रतिलिपि आच्छादित छायाप्रति

उपनिबन्धक 17-2-2017
सैदपुर–गाजीपुर

IV-07/2011

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रू.50

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 112010

काशीनाथ शिक्षा संस्थान

न्यास विलेख (Insrument of Trust).

हम कि श्री काशीनाथ यादव पुत्र स्व0 गुरु प्रसाद ग्राम – दौलतपुर पो0 – दौलतपुर, तहसील सैदपुर जनपद गाजीपुर का निवासी हूँ। हम मुकीर समाज के आर्थिक सामाजिक संस्कृति एवं शैक्षिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करता रहता हूँ। तथा हम मुकिर के मन में मस्तिष्क में अपने व्यक्तिगत कार्यों के साथ–साथ भाई एवं समाज हित का चिन्तन बना रहता है। हम मुकिर की हार्दिक इच्छा है कि समाज में सुख शान्ती आपसी सद्भाव व विश्वास सदाचार,शिक्षा एवं आदर्श नागरिक गुणों की स्वास्थ्य एवं आदर्श गुणों की स्थापना हो। समाज के साधन हीन व्यक्तियों के जीवन की मूलभूत आवश्यकतायें भोजन शिक्षा, व आवास की व्यवस्था हो तथा शिक्षित बेरोगारों को उनकी योग्यता के अनुरूप तकनीकी व व्यावहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हें रोजगारों का अवसर उपलब्ध कराया जाय। समाज के सामुदायिक विकास के परस्पर भाई चारा साम्प्रदायिक तालमेल बनाये रखने व समाज को शिक्षित करने में लिंग भेद, जाति पाति, छुआ–छूत धर्म एवं सम्प्रदाय ऊंच–नीच की भावना कहीं से भी बाधक न हो। जनहित के उक्त कार्यों को संचालित करने तथा उससे लोगों के अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न विधाओं में समाज को शिक्षित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों का गठन किया जाना आवश्यक पाकर इसकी पूर्ण व्यवस्था के हम मुकिर द्वारा कल्याणकारी न्यास/ट्रस्ट की स्थापना की गयी है। हम मुकिर अपने उक्त हार्दिक इच्छा की पूर्ति के लिए तथा इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के वास्ते 5,000/00–रुपया (पांच हजार) का एक न्यास कोष स्थापित किया गया है । जिसकी स्थापना निम्न रूप में की जायेगी।

काशीनाथ

उपनिबंधक
सैदपुर–गाजीपुर

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये ₹.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 112011

1. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित न्यास का नाम "काशीनाथ शिक्षा संस्थान " होगा जिसे इस न्यास पत्र मे आगे न्यास अथवा ट्रस्ट शब्द से सम्बोधित किया गया है।

2. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित उक्त न्यास का कार्यालय ग्राम –नरायनपुर ककरही , पो0–दौलतपुर तह0 सैदपुर ,जिला गाजीपुर मे स्थित होगा। उक्त न्यास के कार्य को सुचारू रुप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यो के सुगम प्राप्ती के बावत के बावत इसके अन्य कार्यालयो की स्थापना की जायेगी और उनके कार्यालयो के पतो पर न्यास मजकुर द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओ और समितियो का पंजिकरण संसगत अधिनियमों , के अर्न्तगत कराया जा सकेगा।

3. यह कि हम मुकिर न्यास मजकूर के संस्थापक व मुख्य ट्रस्टी होंगे तथा न्यास के प्रधान प्रबन्धक भी कहे जायेगें। हम मुकिर द्वारा न्यास के संचालन व व्यवस्था के लिए निम्न लिखित व्यक्तियो जो न्यास के उद्देश्यो के अनुसार न्यास के हित मे न्यासी के रुप मे कार्य करने को सहमत है व न्यास की न्यासी नामित करते है। इस प्रकार नामित व्यक्तियो को न्यास का न्यासी कहा जायेगा। जिनकी कुल संख्या तीन से कम तथा सात से अधिक नही होगी । हम मुकिर द्वारा नामित न्यासी एवं मुख्य न्यासी को संयुक्त रुप से न्यास मण्डल ट्रस्ट मण्डल कहा जायेगा। न्यास की स्थापना के समय हम मुकिर द्वारा न्यासी के रुप में नामित व्यक्तियो का विवरण निम्नलिखित है।

1. फूलचन्द यादव पुत्र स्व0 गुरु प्रसाद – ग्राम – दौलतपुर पो0–दौलतपुर ,जिला गाजीपुर
2. जितेन्द्र यादव पुत्र बनारसी यादव – ग्राम – दौलतपुर पो0–दौलतपुर ,जिला गाजीपुर
3. अजीत यादव पुत्र बनारसी यादव – ग्राम – दौलतपुर पो0–दौलतपुर ,जिला गाजीपुर
4. अमरजीत यादव पुत्र काशीनाथ यादव – ग्राम – दौलतपुर पो0–दौलतपुर ,जिला गाजीपुर
5. सत्यजीत यादव पुत्र बनारसी यादव – ग्राम – दौलतपुर पो0–दौलतपुर ,जिला गाजीपुर
6. अमन यादव पुत्र काशीनाथ यादव – ग्राम – दौलतपुर पो0–दौलतपुर ,जिला गाजीपुर

यह कि हम मुकिर द्वारा "काशीनाथ शिक्षा संस्थान " के नाम से जिस न्यास की स्थापना की जा रही है, उसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है–

काशीनाथ

उपनिबन्धक
सैदपुर–गाजीपुर

Scanned with CamScanner

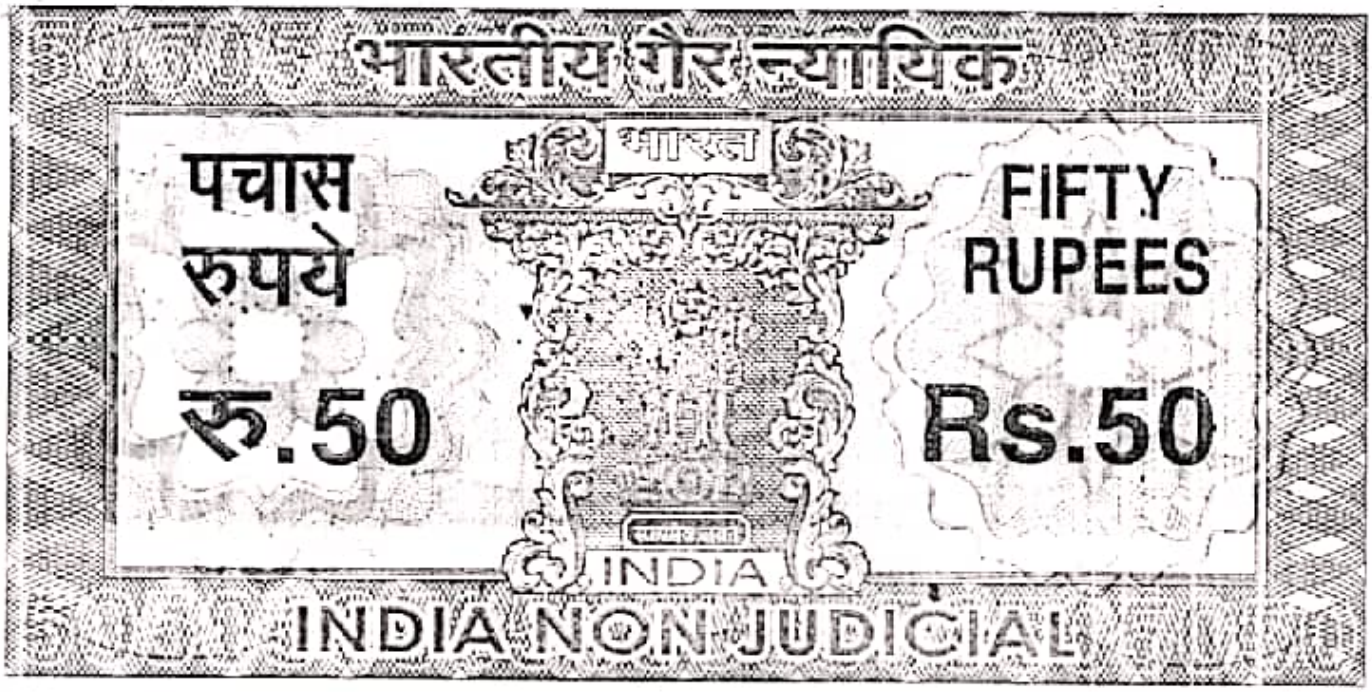

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BK 140360

एव युवाओ के लिए विद्यालय छात्रावास एव भोजन वस्त्र की नि:शुल्क व्यवस्था करना एव उन्हे आत्म निर्भर बनाना बिना लाभ हानि के अन्य छात्रावासों का निर्माण व उनकी समुचित व्यवस्था करना।

18. वृद्धो के लिए विश्राम केन्द्र अथवा पुर्नवास केन्द्र की स्थापना करना जिसमे मनोरंजन ,पढने लिखने व उन्हे खेलने की पूर्ण सुविधा व स्वतन्त्रता हो।

19. महिला सरक्षण गृह/विधवा पुर्नवास केन्द्र की स्थापना करना तथा उन्हे सरकारी सहायता देना।

20. सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढावा देना तथा आवश्यकतानुसार परामर्श केन्द्र, बारात घर, धर्मशाला, सुलभ शौचालय,चिकित्सालय, पुस्तकालय, योगा प्रशिक्षण केन्द्र, ऑगनबाडी बाडी बालवाडी, ड्रामा स्टेज प्रशिक्षण एवं अन्य प्रशिक्षण की स्थापना एवं प्रबन्ध करना।

21 सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्राईवेट व खाली पडी जमीन पर आर्थिक महत्व वाले पौधों को बडे पैमाने पर उगाना, वृक्षारोपड , औषधियों एवंज जी बुटियो वाले पौधो का उत्पादन (मेडिसिनल प्लॉट) (सौन्दर्य उपयोगी पौधे)(फ्लोरी कल्चर) सुगन्ध हेतु अन्य पौधो या अन्य आर्थिक महत्व वाले पौधो का रोपड करना। सुरक्षा एवं संरक्षा की दृष्टि से विलुप्त पौधो की खेती करना।

22 खादी ग्रामोधोग बोर्ड के नियमो कापालन करते हुए उससे सम्बन्धित समस्त जनहित योजनाओ को लागू करना तथा स्वतः रोजगार के लिए बोर्ड से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के आर्थिक सहायता एव अनुदान को स्वतः रोजगार हेतु जन–जन पहुचाना।

23 राष्ट्रीय एकता शिविर के द्वारा विशेष कर संवेदनशील तथा अति संवेदनशील राज्यो के लोगो में राष्ट्रीय एकता एवं समपर्ण की भावना का विकास करना।

24. संस्था को उद्देश्य की पूर्ति के लिए भूमि मकान तथा वाहनो को खरीदना बेचना उन्हे किराये पर या लीज पर लेन–देन करना गार्गेज करना या मकान बनवाना बेचना आदि।

25 विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमो हेतु आधुनिकतम सुविधा के साथ प्रशिक्षण हाल की स्थापना करना जिसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी एव गैर सरकारी प्रशिक्षण सम्पादित हो सके जैसे युनिसेफ, आई0सी0डी0एस0, नेहरू युवा केन्द्र समाजकल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणो का आयोजन करना।

गवा--- [illegible]

मुना..... [illegible]

काशीनाथ

उपनिबंधक सैदपुर–गाजीपुर

Scanned with CamScanner

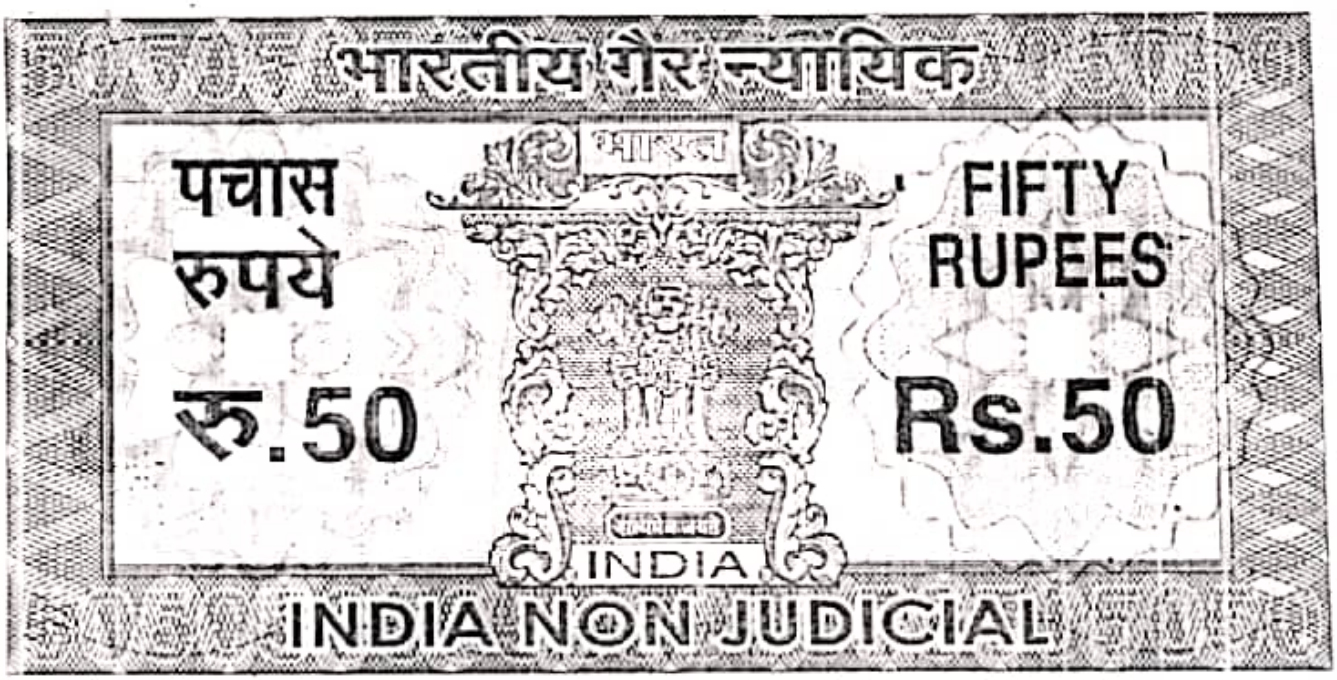

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BK 140361

26. घरेलू ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने तथा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डेयरी उद्योग, रेशम उद्योग,मधुमक्खी पालन',मुर्गी पालन ,बतख पालन तथा इनसे सम्बन्धित बीमारियों की जानकारी रोकथाम , टीकाकरण के लिए युवाओं को प्रेरित / जागरुक / प्रशिक्षित एवं साधन सम्पन्न करना

27. बीडी, सिगरेट,तम्बाकू ,पान मसाला, गांजा–भांग,स्मैक ,एल०सी०डी० या किसी अन्य प्रकार के नशा का सेवन करने वाले लोगो को उनसे होने वाले बिमारियों के प्रति सतर्क करना तथा उनसे छुटकारा पाने के लिए नशा मुक्त निःशुल्क चिकित्सालय की व्यवस्था करना।

28. समाज की व्याप्त बुराइयों जैसे अन्धविश्वास, बालविवाह,बाल शोषण बालश्रम, महिला शोषण,लिंग–भेद, अस्पृश्यता जाति–पाति एवं छुआ–छुत की भावना एवं शैक्षिक भावना के ह्रास को दूर करनातथा इसके लिए जागरुकता / प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

29. महिलाओं से सम्बन्धित यौन प्रहार आक्रमण / यौन प्रताड़ना, युवतियों की खरीद फरोख्त, परिवार हिंसा,महिला अथवा विधवा उत्पीडन आदि से मुक्ति दिलाना। इसके लिए युवाओं को प्रशिक्षित एवं जागरुप करना अथवा आवश्यकतानुसार महिला उत्पीडन मेवित केन्द्र की स्थापना करना।

30. सामुहिक विवाह तथा सामुहिक भोज को बढ़ावा देना, विभिन्न त्यौहारों जैसे होली,दीपावाली ,दशहरा, मोहर्रम , ईद बकरीद अथवा समारोह जैसे शादि, गवना, सालगिराह, जन्मदिन पर होने वाले भोजन तथा अन्न के अपव्यय की रोकथाम हेतु उन्हें प्रशिक्षित करना।

31. विभिन्न प्रकार के खेल जैसे योगा जिम्नास्टिक, जूडो–कराटे, कबड्डी, तथा अन्य शहरी एवं पारम्परिक खेलो को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनका प्रशिक्षित तथा प्रतियोगिता करना। इसके लिए संस्था द्वारा सरकारी अनुदान के लिए प्रयास करना।

32. विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं की सहायता से बाल शिक्षा ,बालस्वास्थ्य एवं टीकाकरण जागरुकता / प्रशिक्षण / कैम्प सहायता एवं हैण्ड पाइप की व्यवस्था करना

33. परिवार कल्याण के क्षेत्र मे जनसख्या वृद्धि नियन्त्रण परिवार नियोजन टीकाकरण क्षेत्र मे जागरुकता / प्रशिक्षण दवा / किट वितरण एवं प्रयोग की सुविधा के साथ साथ परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र की स्थापना करना तथा रक्तदान शिविर का आयोजना करना।

काशीनाथ

गवाह

गवाह

उपनिबंधक सैदपुर गाजीपुर

Scanned with CamScanner

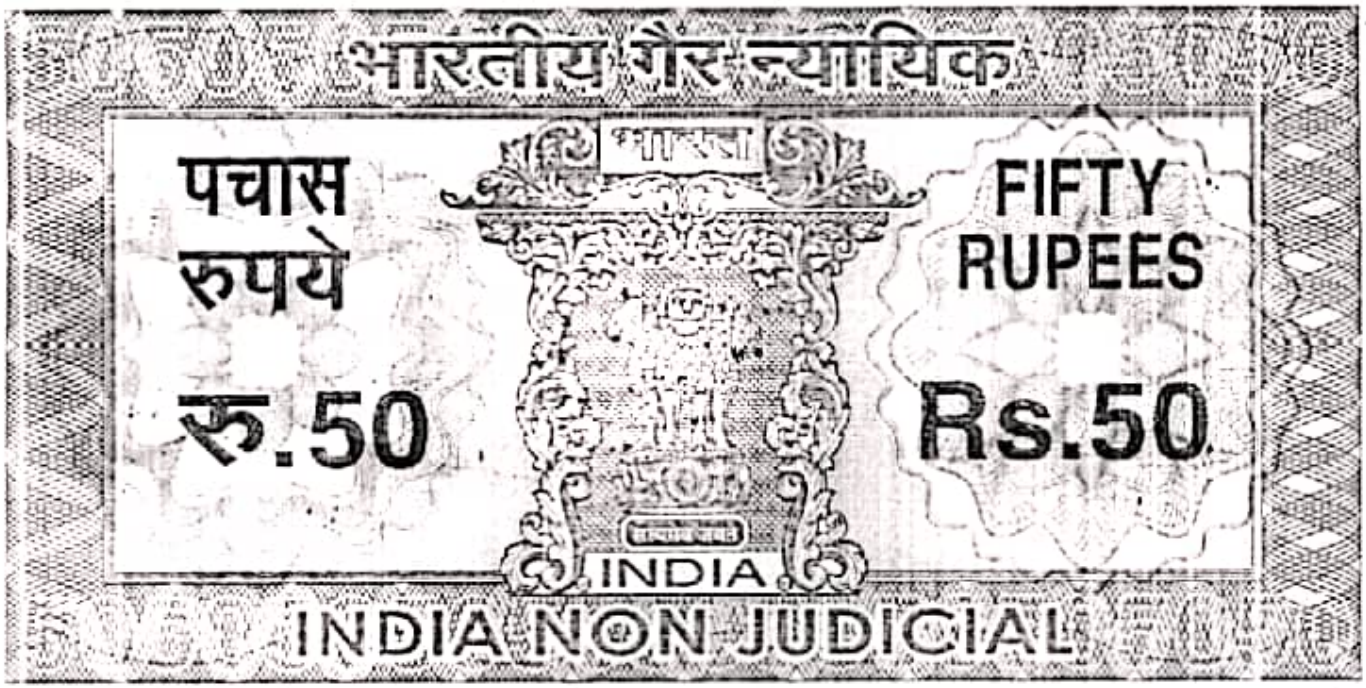

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 140[illegible]63

सहयोग/जागरूकता प्रशिक्षित करना इसके लिए लोगों/संस्था तथा कंपनियो आदि से आर्थिक सहयोग भी दिया जा सकता है। इसमें शासन एवं प्रशासन का सहयोग भी शामिल हैं

43. लावारिस असहाय पशुओं एवं बीमार जानवरो विशेषकर कुत्तो एवं देखभाल के साथ–साथ समुचित संरक्षण तथा उनके पोषण नि:शुल्क दवा व अस्पताल की व्यवस्था करना /गौ वंशीय जीवों को सुरक्षा एवं पालन हेतु पशुशाला तथा गौशाला की व्यवस्था करना प्रतिबन्धित पशुओं के अवैध हत्या को रोकने तथा पशुओं के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए पशु मेला का आयोजन करना।

44. तत्काल सुविधा पहुचाने हेतु सड़क/ट्रेन/बस दुर्घटना जख्मी व्यक्तियो, गर्भवती महिलाओं,बीमार असहाय,वृद्ध व्यक्तिओ को निकटवर्ती अस्पताल तक पहुचाने की सुविधा अथवा एक अस्पताल से दुसरे अस्पताल तक ले जाने के लिए मोबाईल इमरजेन्सी एम्बुलेंस/बैंक की व्यवस्था करना।

45. उन समस्त योजनाओं को क्रियान्वित करना जो समाज कल्याण हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुदानित है तथा जिनको विभागों व एन0जी0 ओ0 के माध्यम से चलाया जा रहा है।

46. पंचायती राज्य एवं उपभोक्ता संरक्षण के बारे मे जानकारी तथा अन्य सामान्य ज्ञान एवं कानूनी जागरूकता के लिए काउन्सलिंग केन्द्रो की स्थापना एवं प्रबन्धन करना ताकि महिलाओ तथा समाज के गरीब एवं पिछडे लोगों को कानूनी सहायता की जा सकें।

47. गरीब लोगों विशेषकर महिलाओ के कानूनी, सामाजिक, आर्थि या चिकित्सकीय सुविधा अथवा सहायता के लिए उपाय करना।

48. किसी एन0 जी0 ओ0 द्वारा दिये गये कार्यों को भी न्यास के माध्यम से सम्पादित किया जा सकेगा।

49. सरकारी अथवा संस्था के किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सर्वे कार्य, डाटा, कलेक्शन, जागरूकता तथा प्रशिक्षण हेतु किसी प्रकार का किट, पोस्टर, बैनर, श्रव्य, दृश्य कैसेट, कठपुतली, सामाग्री, डाक्यूमेन्टरी एवं नुक्कड़–नाटक कीट तैयार करना जो विभिन्न कार्यक्रमो अथवा क्षेत्रों में प्रयुक्त होता है, जिससे न्यास के उद्देश्य की पूर्ति होती है।

50. किसी अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था अथवा एन0जी0ओ0 एसोसिएशन न्यास को आर्थिक सहायता देना उनके क्रिया कलापों मे सहयोग देना जिनके उद्देश्य इस संस्था में मिलते हो।

काशीनाथ

उपनिबंधक
सैदपुर–गाजीपुर

Scanned with CamScanner

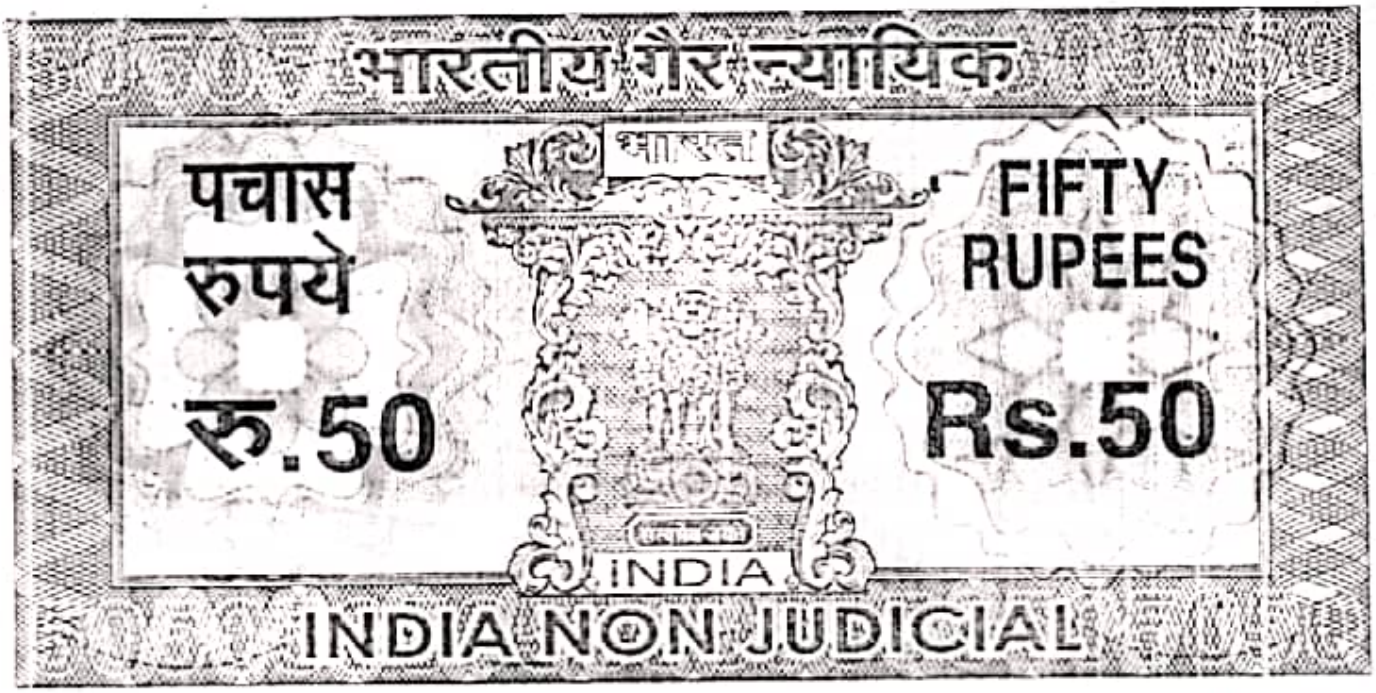

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये ₹.50

भारत

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 140367

6. न्यास द्वारा संचालित महाविद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर के कर्मचारी के प्रतिनिधि विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के लिए नियमानुसार सक्षम प्रधिकारी के स्वीकृति या अनुमोदित कराये गये प्रशासन योजना के अनुसार सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगे तथा उन्हे नियमानुसार प्राप्त अधिकारों को प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा।

7. न्यास मण्डल का कोई भी न्यासी किसी भी व्यक्ति या संस्था से यदि कोई व्यक्तिगत लेन–देन करता है तो न्यास का इस सम्बन्ध मे कोई उत्तरदायित्व नही होगा, बल्कि सम्बन्धित न्यासी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

(ख) न्यास की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशन:–

1. न्यास मण्डल की वर्ष मे एक बार वार्षिक बैठक आवश्यक होगी। उक्त वार्षिक बैठक में न्यास के अधीन संचालित सभी संस्थाओं/समितियों के प्रबन्धक/सचिव एवं प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेगें।वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को 15 दिन पूर्व मुख्य न्यासी द्वारा दी जायेगी और उपरोक्त सभी व्यक्तियो का वार्षिक बैठक मे उपस्थित होना अनिवार्य होगा।वार्षिक बैठक से अनुपस्थित व बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की यह अयोग्यता समझी जायेगी। कोई भी व्यक्ति मुख्य न्यासी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक सक अनुपस्थित हो सकता है।

2. वार्षिक बैठक मे न्यास के वर्ष भर के क्रियाकलापों पर विचार होगा और आय–व्यय पर विचार कर न्यास का बजट निर्धारण किया जायेगा।विचारोपरान्त बहुमत से पारित नियम एवं निर्णय पर न्यास मण्डल का फैसला अन्तिम होगा।

7. मुख्य न्यासी/प्रधान प्रबन्धक के अधिकार एवं कर्तव्य :

0 इस न्यास के मुख्य प्रबन्धक के रुप मे कार्य करने तथा न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं एवं विद्यालयों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रुप मे कार्य करना।

0 न्यास से सम्बन्धित प्रत्येक प्रकार की धनराशि को प्राप्त करके उसकी रसीद देना।

0 न्यास की समस्त कार्यवाही लिखना/लिखवाना व अन्य अभिलेखो को तैयार करवाना।

0 न्यास की बैठक को आमन्त्रित करना तथा उसकी सूचना न्यास मण्डल के सदस्यों को देना।

गवा.....

गवा.....

ह0 उपनिबन्धक
सैदपुर–गाजीपुर

Scanned with CamScanner

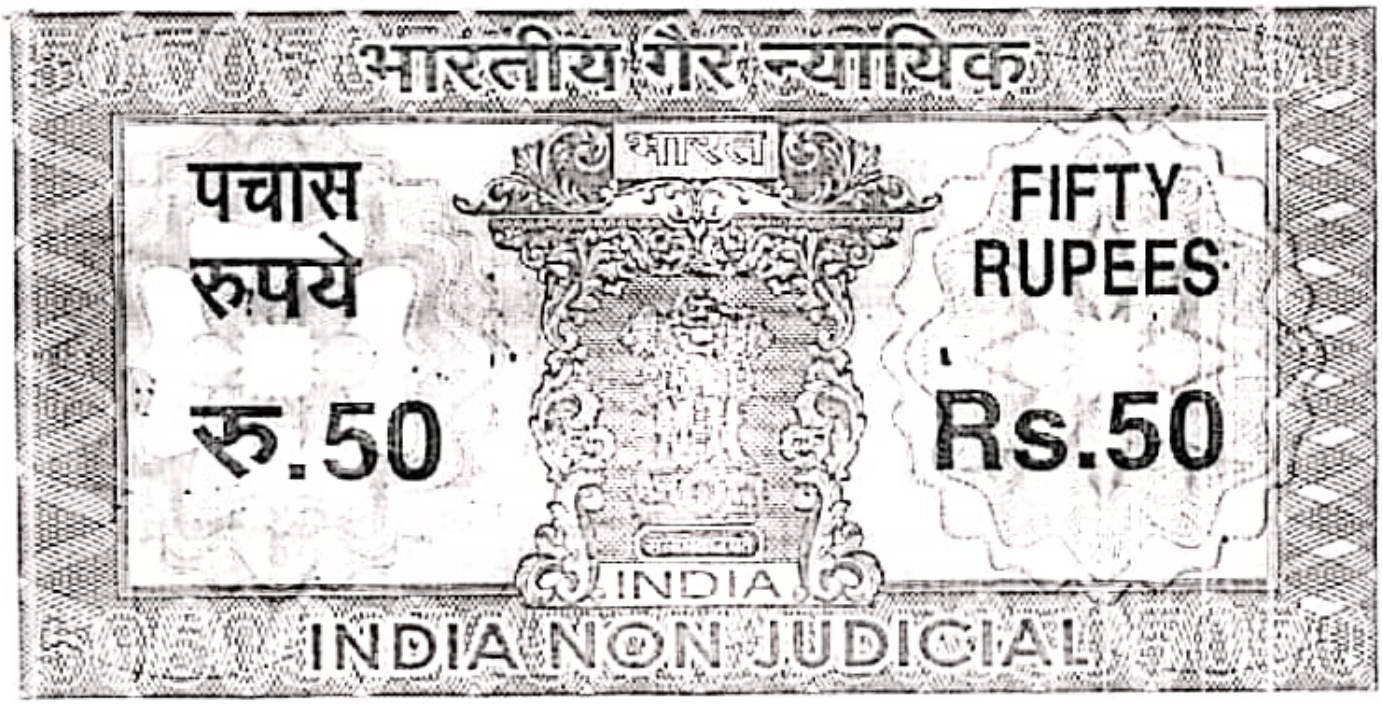

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 140369

0. यह कि न्यास मण्डल द्वारा न्यास के उददेश्यो की प्राप्ती हेतु व्यक्तियो, वित्तिय संस्थाओं व बैंको से दान, सहायता.ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी उचित वैज्ञानिक माध्यम से न्यास की आय बढ़ाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध से न्यास की ओर से दस्तावेज निस्पादित करने के लिए मुख्य न्यासी व एक अन्य न्यासी जिसे कि मुख्य न्यासी उचित समझे अधिकृत होगें।

0. यहकि मुख्य न्यासी न्यास की तरफ से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिए भूमि एवं भवन का क्रय एव विक्रय कर सकेगें या किसी चल या अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकेगें। न्यास मण्डल की सम्पत्ति या सम्पत्तियो को किराये पर दे सकेगा या बेच सकेगा।

0. यह कि न्यास की सम्पत्ति को क्षति पहुचाने या दुरुपयोग करने वाले को दण्डित करने का अधिकार न्यास मण्डल को प्राप्त होगा। न्यास और उसके अधीन संस्थाओं एव समितियो के अधिकारियो एवं कर्मचारियो के विरुद्ध मुख्य न्यासी द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील न्यास मण्डल द्वारा सुनी जायेगी।

0. न्यास द्वारा स्थापित व संचालित किसी भी संस्था व विद्यालय मे प्रबन्ध की विवाद उत्पन्न होने पर उसके सम्बन्ध मे न्यास मण्डल का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा। परन्तु यदि किसी परिस्थितिवश ऐसा नही हो सका तो विवाद को लम्बी रहने के दौरान सम्बन्धित संस्था या विद्यालय का प्रबन्धन व उसकी सम्पत्ति की व्यवस्था न्यास मे निहित रहेगी।

0. न्यास की आय–व्यय व लेखा के परीक्षा हेतु मुख्य न्यासी द्वारा परीक्षा की नियुक्ति की जा सकेगी।

0. न्यास द्वारा या न्यास के विरुद्ध किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन न्यास के नाम से किया जायेगा जिसकी पैरवी न्यास की ओर से मुख्य न्यासी द्वारा अथवा मुख्य न्यासी के अनुपस्थिति मे उनके द्वारा अधिकृत न्यासी द्वारा की जायेगी।

0. न्यास के अधिन स्थापित संस्थाओ एवं गठित समितियों के पदाधिकारी की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तो एव सेवा पुस्तिका एव विवरण भी न्यास मण्डल के अधिन होगा। न्यास मण्डल बहुमत से स्वय उनके कार्यो को करेगा अथवा किसी व्यक्ति या व्यक्तियो को इस कार्य हेतु नियुक्त करेगा इसके अतिरिक्त न्यास मण्डल अपने सम्पत्तियो के प्रबन्ध एवं प्रतिदिन के कार्यो हेतु वैतनिक कर्मचारियों की भी नियुक्ति करेगा।

गवा.... [signature]

गवा.... [signature]

काशीनाथ

उपनिबन्धक
सैदपुर–गाजीपुर

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

भारत

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 140368

- न्यास की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा न्यास के आय–व्यय का हिसाब–किताब तथा रिपोर्ट न्यास मण्डल के समक्ष रखना ।
- न्याय के ओर से न्यास की समस्त चल अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण व प्राप्ति से संबंधित विलेखो को हस्ताक्षरित करना
- न्यास तथा न्यास के विरुद्व विधिक कार्यवाहियों की न्यास की ओर से पैरवी करना तथा उसके लिए अधिवक्ता व मुख्तार नियुक्त करना ।
- इस न्यास विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारियों का प्रयोग करना तथ न्यास की मुख्य प्रबन्धक के रूप में शेष न्यासियों के सहयोग से न्यास के हित में अन्य सम्बन्धित कार्यों को करना ।
- न्यास के वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करना
- न्यास का आय व्यय का रिपोर्ट तथा न्यास मण्डल द्वारा अधिकृत लेख परीक्षक से न्यास के आय– व्यय का लेखा परीक्षण करना
- न्यास के वित्त संबंधी लेखों का सुचारू रूप से रखरखाव करना

8. न्यास के कोष की व्यवस्था

1. न्यास के कोष को सुचारू रूप से रख– रखाव एव उसकी व्यवस्था हेतु किसी डाकघर या राष्ट्रीयकृत/मान्यता प्राप्त अधिसुचित बैंक में ट्रस्ट के नाम खाता खोला जायेगा।
2. ट्रस्ट के अर्न्तगत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय,संस्थान केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला या संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति मे स्वय या ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशो के अर्न्तगत खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है।

9. <u>न्यास के अभिलेख</u>

न्यास के अभिलेखो को तैयार करने / कराने व रखरखाव का दायित्व मुख्य न्यासी का होगा । मुख्य न्यासी द्वारा प्रमुख रूप से न्यास के लिए सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर व लेखे का रजिस्टर इत्यादि रखा जायेगा ।

10. <u>न्यास के सम्पत्ति की व्यवस्था</u>

न्यास के सम्पत्ति की व्यवस्था निम्नलिखित रूप मे की जायेगी।

काशीनाथ

गवाह

गवाह

उपनिबन्धक
सैदपुर–गाजीपुर

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 140366

2 मुख्य न्यासी की अनुपस्थिति ,बीमार या कार्य करने की असमर्थता की अवस्था मे उसके द्वारा निर्धारित ट्रस्टी मुख्य न्यासी के रुप मे कार्य करने के लिए अधिकृत होगा।

3 न्यास मण्डल के सदस्यो में से न्यासीगण को न्यास के सुचारु प्रबन्ध व्यवस्था के लिए न्यास के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष , कोषाध्यक्ष के रुप मे नियुक्ति की जा सकेगी और इस प्रकार नियुक्त किये गये न्यासियो का कार्याधिकार निश्चित किया जा सकेगा। न्यास के उक्त पदाधिकारियो का निर्वाचन न्यास मण्डल द्वारा अपने मे बहुमत के आधार पर किया जायेगा।न्यास के पदाधिकारियों के निर्वाचन मे मूलतः आम सहमति के आधार पर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी यदि किन्ही परिस्थितियो मे ऐसा किया जाना सम्भव नही हो सका तो पदाधिकारी का निर्वाचन मुख्य न्यासी की देख रेख मे कराया जा सकेगा।और इस प्रकार से निर्वाचन सम्पन्न किये जाने पर मुख्य न्यासी का निर्णय सभी न्यासियो को मान्य एवं अन्तिम होगा।

4 न्यास मण्डल के किसी भी न्यासी अथवा मुख्य न्यासी के त्याग–पत्र देने अथवा मृत्यु होने पर उनका स्थान रिक्त हो जायेगा लेकिन न्यास मण्डल मे इस प्रकार की कोई रिक्त होने पर न्यास मण्डल के पदाधिकारियो के अगले निर्वाचन के पूर्व उसकी पूर्ति सम्बन्धी न्यासी के विधिक उत्तराधिकारियो मे से की जायेगी यदि किसी न्यासी के एक से अधिक उत्तराधिकारी है तो उनमे से योग्य एवं न्यासी के प्रति हितैसी भाव रखने वाले पदाधिकारी को न्यास में उत्तराधिकारी के न्यासी के रुप मे सम्मिलित होने से इन्कार करने की स्थिति मे मृतक न्यासी के वंशावली के दुसरे सदस्य के नाम पर विचार किया जायेगा। परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य न्यासी अन्य न्यासियो के रिक्त स्थान की पूर्ति के सम्बन्ध के उक्त रुप मे दिये गये उपबन्धो के द्वारा न्यास मण्डल के सदस्यो का अपने मृत्यु के उपरान्त लिखित रुप से उत्तराधिकारी न्यासी नियुक्त करने का अधिकार बाधित नही होगा।

5 न्यास मण्डल के किसी सदस्य को उसके द्वारा न्यास के उद्देश्यो के विपरीत कार्य करने की अथवा न्यास के हितो के विपरीत आचरण करने की दशा मे न्यास मण्डल द्वारा उन्हे सामान्य बहुमत से न्यास पृथ कर दिया जायेगा। और उनके स्थान पर पूर्व मे दिये गये प्राविधानो के अनुसार सुयोग्य एवं न्यास मण्डल के न्यासी के रुप मे सायोजित कर लिया जायेगा।यदि कोई हितैसी व्यक्ति को न्यासी उक्त प्रकार से न्यास से पृथक नहीं किया जाता है तो उसे न्यास मण्डल के सदस्य के रुप में अजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।

काशीनाथ

उपनिबन्धक
सैदपुर–गाजीपुर

गवाह

मुना

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 140365

7. न्यास के अधिन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियो मे अनियमितता की स्थिति होने तथा किन्ही आकस्मिक परिस्थितियों मे उसके संचालन के बावत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था ट्रस्ट में निहित करना।

8. न्यास के अधिन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रो, चिकित्सालयों, शोधकेन्द्रो, गौशालाओं व अन्य समस्त समितियों के लिए आवश्यक कर्मचारी नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियो के लिए आचरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना उनके हित में अन्य कार्यो को करना।

9. न्यास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए तथा न्यास द्वारा संचालित संस्थाओ के हित मे व्यक्तियो, संस्थाओं, सरकारी अर्द्धसरकारी, गैरसरकारी विभागो मे दान,उपहार, अनुदान, व अन्य श्रोतो से धन व सम्पत्तिया को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से न्यास के उद्देश्यो की पूर्ती के लिए खर्च करना।

10. न्यास के उद्देश्यो के पूर्ती के लिए न्यास मण्डल द्वारा संकल्पित समस्त कार्यो को करना।

11. उत्तर प्रदेश राज्य विश्व विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार निर्धारित शर्तो को पूर्ण कर स्नातक व परास्नातक स्तर पर शैक्षिक व व्यवसायिक पाठ्यक्रम का संचालन करना और इस आवश्यकता हेतु स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की स्थापना करना इस प्रकार स्थापित शैक्षिक संस्थाओ की सुचारु प्रबन्ध व्यवस्था हेतु निर्धारित शर्तो का पालन करते हुए प्रशासन योजना का तैयार कर सक्षम प्रधिकारी /कुलपति से स्वीकृति प्राप्त करना।

6. न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था

(क) न्यास का गठन एवं संचालन– न्यास का गठन एवं संचालन निम्नलिखित रुप से किया जायेगा–

1. न्यास के मुख्य न्यासी एवं प्रबन्धक हम मुकिर होगें और न्यास के मुख्य न्यासी को अपने जीवनकाल में अगले मुख्य न्यासी को शामिल करने का अधिकार होगा। यदि किन्ही परिस्थितियो मे अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति किये जाने के पूर्व मुख्य न्यासी की मृत्यु हो जाये तो न्यास के शेष न्यासियो को मुख्य न्यासी के विधिक उत्तराधिकारी पत्नी व पुत्रों मे योग्य व्यक्ति को बहुमत के आधार पर न्यास का मुख्य न्यासी चयनित करने का अधिकार होगा। परन्तु मुख न्यासी की नियुक्ति न्यास मण्डल के शेष सदस्यो द्वारा उनकी योग्यता एवं न्यास हित में कार्य करने की क्षमता को देखते हुए की जायेगी।

ह०- [signature]

काशीनाथ

मु०- [signature]

उपनिबन्धक सैदपुर–गाजीपुर

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BK 140364

51-सरकारी तथा गैर सरकारी/लोगो/संस्थाओं /तन्त्रों/कम्पनी/दुकानो से आर्थि सहायता लेकर संस्था के उद्देश्य की पूर्ति करना। इसमें विभिन्न प्रकार डोनेशन ग्रान्ट, गिफ्ट, चल एवं अचल सम्पत्ति सम्मिलित है।

52. विभिन्न पंजीकृत संस्थाओं को संगठित करना तथा उन्हे विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देना या आर्थिक सहायता पहुचाना।

53. संस्था उद्देश्य की प्राप्ती के लिए इसकी शाखा या इसके क्रियाकलापों को आवश्यकतानुसार अन्य जिला/प्रदेशों में स्थापित करना या फैलाना।

54. सरकारी , अर्द्धसरकारी अथवा गैर सरकारी बैंको से संस्था के उद्देश्यों के पूर्ति के लिये ऋण या सहायता प्राप्त करना।

5. <u>न्यास मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य:–</u>

1. समान उद्देश्यों की अन्य संस्थाओं व न्यासो से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।

2. न्यास के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु तथा इनके विभिन्न इकाईयों को सुचारु व्यवस्था के अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिए समितियो एवं उपसमितियों का गठन करना।

3. न्यास के अधिन संस्थाओ व समितियो को सुचारु रुप से संचालन के लिए समिति पंजीकरण अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उपनियमें को बनाना।

4. न्यास के अधिन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिए विभिन्न प्राविधानो को लिखित रुप में तैयार करना तथा इसके लिए धन की व्यवस्था हेतु सदस्यता शुल्कदान , चन्दा इत्यादि करना तथा उनकी प्रबन्ध इकाईया गठित करना।

5. न्यास के अधिन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने व उनकी व्यवस्था के लिए लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त करना।

6. न्यास के सम्पत्ति की देखभाल करना तथा न्यास के सम्पत्ति के बढ़ावा के लिए सतत प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर न्यास के सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना व अन्य प्रकार से उनकी व्यवस्था करना।

काशीनाथ

उपनिबन्धक
सैदपुर–गाजीपुर

Scanned with CamScanner

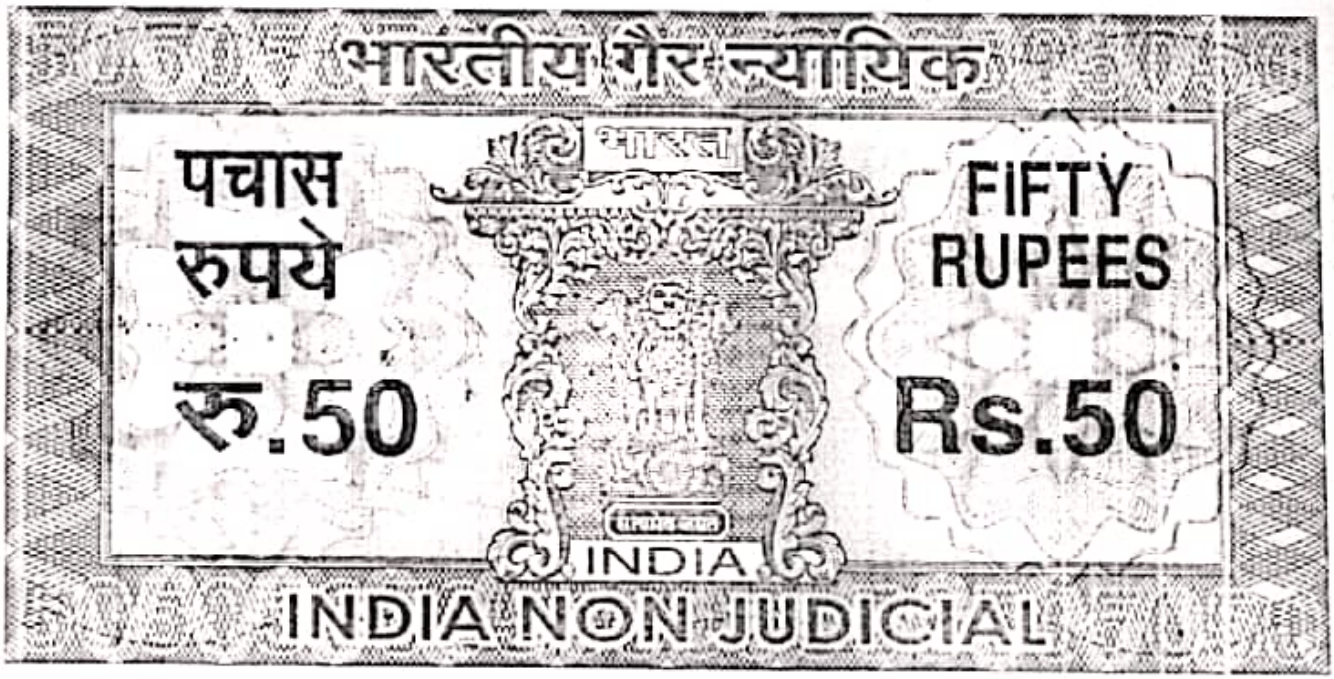

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 140362

34. एड्स,कैंसर ,टी0बी0, कोढ़, मलेरिया , पोलियो , हेपेटाइटिस जैसे रोगो की जानकारी/रोकथाम/नियन्त्रण/जागरूकता/उपचार की व्यवस्था एव सुविधा उपलब्ध कराना तथा जन सामान्य के लाभहेतु डेन्टल कालेज,मेडिकल कालेज एवे अन्य चिकित्सकी/पैरामेडिकल महाविद्यालयो तथा प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना करना।

35. ग्रामीण शहरी क्षेत्रों मे भिखारियो,झुग्गी–झोपड़ी एव मलीन बस्तियो मे रहने वाले व्यक्तियो को आवास,भोजन,पेय जल स्वास्थ्य प्रशिक्षण एव सामाजि चेतना के प्रति जागरूक करना तथा उन्हे बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना।

36. सरकारी क्रय जैसे ,कूड़ा एवं कूड़ा को संचालित करना

37. सरकार की सहायता से गावो एव शहरों के विकास हेतु पेय जल, शौचालय–नाली,सड़क निर्माण ,खड़न्जा ,मिद,मार्ग,शिविर एवं भवन निर्माण की व्यवस्था करना सरकारी एव गैर सरकारी संगठनो द्वारा प्राप्त अल्प लागत से आवास बनाकर गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियो को उपलब्ध कराना।

38. कृषि उद्योग को बढ़वा देने के लिए नव नये वैज्ञानिक तकनीको का उपयोग कराना तथा नदे नये शोधित बीजों को उगाने तथा उससे सम्बन्धित बीमारियो की जानकारी देने अथवा दवा सुरक्षा के लिए आम लोगो तथा किसानो का शिविर लगाकर उन्हे प्रेरित/जागरूक एव प्रशिक्षित करना साथ ही साथ उत्पाद का उन्हे उचित मूल्य दिलाना तिलहन, दलहन तथा कृषि बागवानी बोर्ड के विकास हेतु नये वैज्ञानिक तरीको का प्रचार प्रसार करना तथा स्थायी कृषि कार्यक्रमो द्वारा कृषि कृषको को प्रशिक्षित एवु लाभान्वित करना।

39. वर्मी कम्पोस्ट एव साग सब्जी उद्योगो को बढ़ावा देना तथा भूमि को रासायनिक उर्वरक से होने वाले हानि से लोगो से अवगत कराना।

40. बन्जर एवं ऊसर भूमि गैर पारम्परिक उर्जा श्रोत, वातावरणीय संरक्षण,जल एवं अन्य प्राकृतिक सम्पदा के संरक्षण को विकसित करने के लिए विभिन्न योजनायोंको लागू करना।

41. जल, वायु,मृदा एवं ध्वनि प्रदूषण की जानकारी/नियन्त्रण /उनसे होने वाली बिमारियो के बारे मे युवाओ को जागरूक एवं प्रशिक्षित करने के लिए रचनात्मक दिशा मे कारगर कदम उठाना।

42. प्राकृतिक आपदा जैसे–हैजा,प्लेग ,भुखमरी, बाढ़, आग , सूखा, अकाल, चक्रवात, भुकम्प ,दुर्घटना की दशा में प्रभावित लोगो की सहायता करना तथा प्रभावित गावों व्यक्तियो एवं पशुओ का सर्वेक्षण एव पहचान करना तथा उन्हे सहायता प्रदान करना सम्लित है ऐसी दशामे लोगो को बचाव एव भावी रणनिति के लिए

काशीनाथ

उपनिबन्धक
सैदपुर–गाजीपुर

Scanned with CamScanner

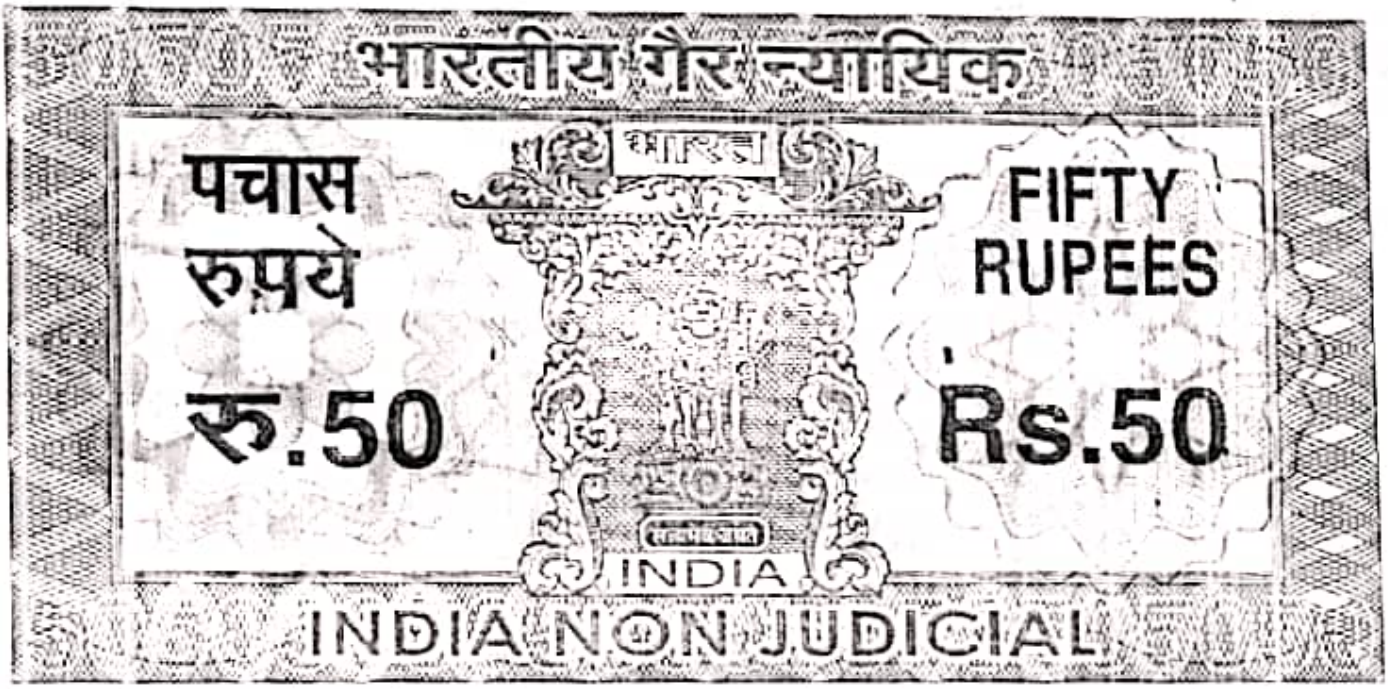

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 140359

10. शैक्षणिक क्षेत्र मे विभिन कक्षाओं में कमजोर विद्यार्थियों के लिए अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओ जैसे मेडिकल, इन्जनियरिंग, पालिटेक्निक, बैंक, पी०सी०एस०, आई०ए०एस० मे प्रवेश की तैयारी के लिए कोचिंग सेन्टरों की व्यवस्था तथा उससे होने वाले आय से संस्था का पोषण करना एवं बी०एड०, बी०पी०एड० बी०टी०सी० कालेजों, पालिटेक्निक, इन्जीनियरिंग, फार्मेसी, मेडिकल कालेज एवं प्रबन्धन कालेज आदि खोलना।

11. संस्था के प्रत्येक योजनाओ में महिलाओं को उनके योग्यता के अनुसार समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना, उनके न मिलने की दशा मे स्थान पुरुषों द्वारा भरा जा सकता है।

12. अनु० जाति, अनु० जन० जाति, पिछड़े एव कमजोर वर्गो के लिए स्वरोजगार योजना का प्रबन्ध करना तथा उनके लिए शैक्षणिक क्षेत्र मे कमजोर विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक क्षेत्र मे कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कोचिंग की व्यवस्था करना।

13. युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक ट्रेनिंग जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग, स्क्रीन, इलेक्ट्रानिक वायरमैन, डीजल एवं मोटर मैकेनिक, रेडियो एव टी०वी० ट्रेनिंग, टाईपिंग, शार्ट हैण्ड, कम्प्यूटर, फाईन आर्ट, संगीत इसके अतिरिक्त फल संरक्षण कुकिंग/बेकरी एव मत्स्य उद्योग प्रशिक्षण एवं ड्राफ्टिंग प्रशिक्षण आदि जैसे केन्द्रो की स्थापना/व्यवस्था तथा प्रबन्धन करना आवश्यकतानुसार उनके लिए प्रशिक्षण कक्ष, पुस्तकालय अध्ययन कक्ष छात्रावास, भोजन, वस्त्र दवा,यातायात खेल का मैदान जैसी सुविधाओ को उपलब्ध कराना।

14. खाद्य प्रसंस्करण जैसे जैम,जैली,मुरब्बा,अचार,कन्चप तथा अन्य फल संरक्षण का प्रशिक्षण देना।

15. युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के लिए अन्य उपयोगी प्रशिक्षण जैसे हैण्डीक्राफ्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुकिंग कला, निबन्ध व्याख्यान तथा खेल कूद आदि का आयोजन, प्रतियोगिता तथा विजयीप्रतिभागियों को पुरस्कृत करना भी संस्था का उद्देश्य है।

16. युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक ट्रेनिंग उद्देश्य है।

17. समाज कल्याण हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओ क्रियान्वित करना जैसे गूंगे, बहरे, अन्धो, अपंग एवं मानसिक रूप से कमजोर बच्चो युवाओं एवं अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति/पिछड़े वर्ग/गरीब बच्चो निराश्रितो, अनाथ बच्चो

1 गवाह Rita

गवाह ...

काशीनाथ

उपनिबंधक
सैदपुर-गाजीपुर

Scanned with CamScanner

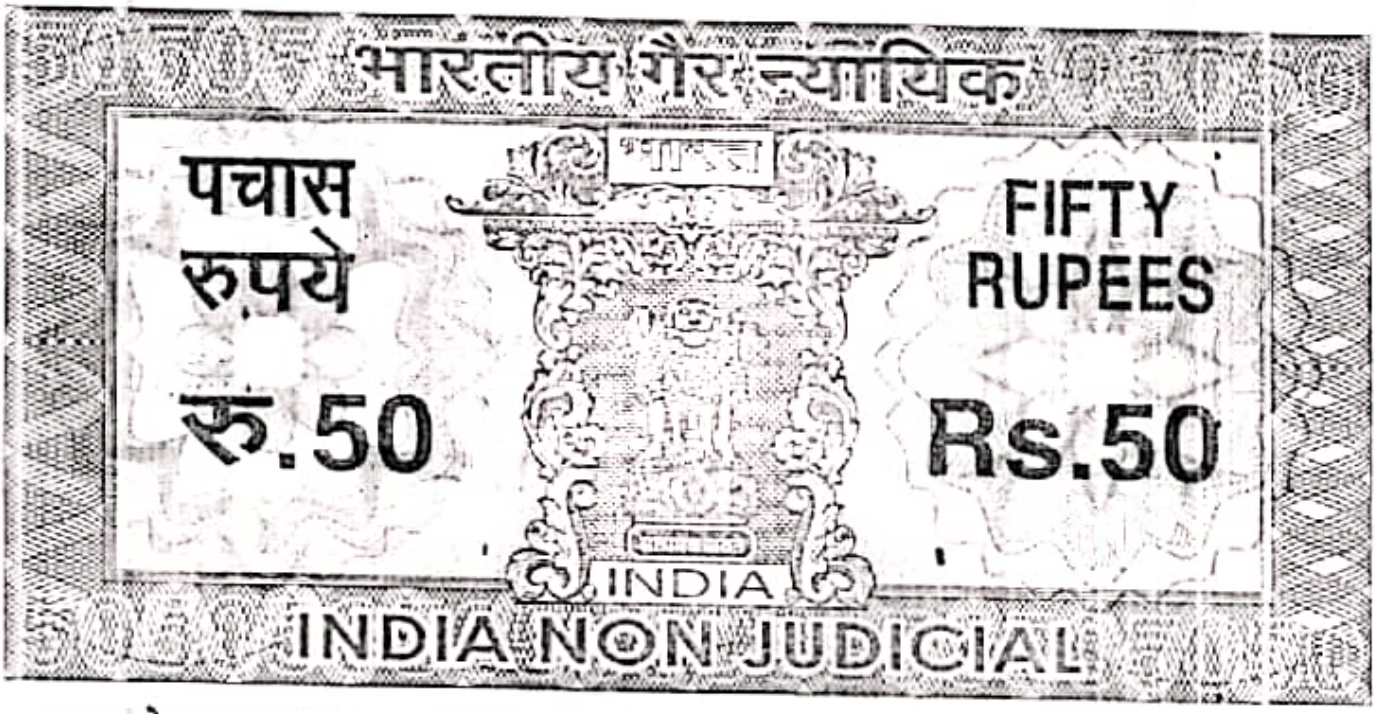

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 | FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BK 140358

1. समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना।
2. शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना एव आम जना में चेतना जागृत कर उन्हे शिक्षित एवं रोजगारोमुख प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनना।
3. नव-युवक, नव-युवतियों व छात्र/छात्राओं को रचनात्मक दिशा देना एव उनके सर्वांगिण विकास के लिए प्राथमिक जू0 हा0 स्कूल, हाई स्कूल, इण्टरमिडिएट व स्नातक, स्नाकोत्तर स्तर के विद्यालय एवं महाविद्यालयों, विधि महाविद्यालयो शिक्षण-प्रशिक्षण महाविद्यालयों विश्वविद्यालय की स्थापना एवं उनका संचालन करना।
4. वर्तमान समय मे विज्ञान के जन जीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुए तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना विज्ञान एव कम्प्यूटर तकनिकी पर आधारित होने के कारण उनसे सम्बन्धित ज्ञान को जिज्ञासुओं व प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक टेक्नोलाजी के माध्यम से उपलब्ध कराना।
5. समाज के सामुदायिक विकास को परस्पर भाई-चारा, सम्प्रदायिक तालमेल, राष्ट्रभक्ति राष्ट्रीय एकता, सरकारी सम्पत्ति के प्रति प्रेम, राष्ट्र धरोहर की रक्षा, प्राकृतिक चीजो एवं जीवों की रक्षा प्राकृतिक के प्रति प्रेम, राष्ट्रीय कानून के प्रति वफादारी तथा समाज के प्रति जिम्मेदारी के प्रति जिम्मेदारियो के लिए युवको एवं महिलाओ को जागरुक करना तथा उन्हे प्रशिक्षित करना।
6. न्यास द्वारा स्थापित महाविद्यालय के प्रचार एवं प्रशिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के प्रतिनिधि विश्वविद्यालयों परिनियमावली के अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के लिए सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत या अनुमोदित कराया गयी प्रशासन योजना के अनुसार सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगे तथा उन्हे नियमानुसार प्राप्त अधिकारो का प्रयोग करने का अधिकार होगा।
7. लिंग-भेद, जाति-पाति, छुआ-छुत, धर्म व सम्प्रदाय, ऊंच-नीच की भावनाओं को समाप्त करने के लिए प्रशिक्षण/जागरुकता/सर्वे/लिट्रेचर आदि की व्यवस्था करना।
8. शिक्षा प्रचार/प्रसार/उन्नयन तथा प्रदेश व देश के किसी भी क्षेत्र में सामान्य शिक्षा/गैर तकनिकी शिक्षा/विधि शिक्षा/शिक्षा प्रशिक्षण हेतु महाविद्यालय स्थापित करना।
9. स्थानिय आवश्यकताओं को देखते हुए किड-केयर, नर्सरी ,प्राईमरी, माध्यमिक स्कूलों तथा डिग्री एव पी0 जी0 कालेज की स्थापना करना तथा आमदनी के श्रोत हेतु विद्यालय कम्पाउण्ड में दुकान व आवास का निर्माण करना।

गवा... [signature]

गवा... [signature]

[signature]

उपनिबन्धक
सैदपुर-गाजीपुर

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 8K 112012

0. न्यास मण्डल. के लिए वह सभी कार्य करेगा जो न्यास के हितो के लिए अवश्यक हो न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो ।

0. न्यास के प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति न्यास को उद्देश्यों की प्राप्ती एवं पमर्ति के लिए प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य मे न्यास द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उसके बावत भी यह शर्त लागू होगें।

<u>घोषणा पत्र</u>

''काशीनाथ शिक्षा संस्थान '' की तरफ से हम काशीनाथ यादव , मुख्य न्यासी के रुप में हम घोषित करते है कि उपरोक्त न्यास पत्र लिखकर पढ़ व समझकर स्वस्थ्य मन व चित से बिना किसी बाहरी दबाव के सोच समझकर इस न्यास पत्र को निबन्धन प्रस्तुत किया है। जिससे कि न्यास का विधिवत गठन हो सके ।

हस्ताक्षर साक्षीगण

1 चितसेन मिश्र S/O श्री मारकण्डे मिश्र ग्राम- चेरा पो० सिंगरी जनपद गाजीपुर

2 विक्रम यादव S/o भरत यादव ग्राम बड़िहारी पो० दोलतपुर जि० गाजीपुर

हस्ताक्षर मुख्य न्यासी

काशीनाथ

(पक्षकार)

दिनांक 13-4-2011

उपनिबन्धक
सैदपुर–गाजीपुर

Scanned with CamScanner

१३-०४-२०११ ३०७१

विद्यालय
काशीनाथ शिक्षा संस्थान नरायनपुर गाजी
गाजी
२०)

वरिष्ठ कोषाधिकारी
28 JAN 2011
गाजीपुर

१९
२०

सैदपुर

ट्रस्टडीड ५०००/-

शुल्क निबन्धन शुल्क प्रतिलिपि योग शब्द लगभग
१००/- ६०/- १६०/- २४००

श्री काशीनाथ गुरूप्रसाद

पेशा खेती दौलतपुर सैदपुर

जिला गाजी

सैदपुर में 13-4-2011 2 9 3

के मध्य प्रस्तुत किया।

Ashok Kumar
उपनिबंधक
सैदपुर-गाजीपुर 13/4/11

इस लेखपत्र के लेखन व सम्पादन को सुन व समझ कर

काशीनाथ काशीनाथ प्रमा (प्रबन्धक)

ने स्वीकार किया। जिनकी पहचान श्री चित्रसेन मिश्र

पुत्र श्री मार्कण्डे मिश्र पेशा खेती पौता

सैदपुर जिला गाजीपुर व

श्री शिवपूजन सिंह यादव

काशीनाथ

Ashok Kumar
उपनिबंधक
सैदपुर-गाजीपुर 13/4/11

चित्रसेन मिश्र

शिवपूजन सिंह यादव

उपरोक्त साक्षि
नियमानुसार

में लगे अंकित होते हैं।

Ashok Kumar
उपनिबंधक
सैदपुर-गाजीपुर

Scanned with CamScanner

11-04-2011 3081

विद्यालय
कालीनाथ शिक्षा संस्थान नरायनपुर लकरही
गाजी0

वरिष्ठ कोषाधिकारी
28 JAN 2011
गाजीपुर

आज दिनांक 13-4-2011
बही 06 पृष्ठ 113/144

उपनिबन्धक
सैदपुर-गाजीपुर 13/4/11

कार्यालय उप निबन्धक सैदपुर जनपद-गाजीपुर
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

Scanned with CamScanner